# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 177 / 2017 / बाड़मेर

| अपीलांट | | रेस्पोडेंटगण | |
|---|---|---|---|
| 1. | पूरोबाई पुत्री हिमथा पत्नी मंगलाजी पुत्र वीराजी जाति मेघवाल, निवासी राणेरी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। | बनाम | 1.अगरा पुत्र डामरा जाति मेघवाल निवासी चवा, तहसील व जिला बाड़मेर। |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2008 बअनवान पूरोबाई बनाम अगरा निर्णय दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राऊराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चैनाराम सारण रेस्पोडेंट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः— 14.06.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की माता पारू के खातेदारी का खेत ग्राम चवा में आये हुये थे। खसरा संख्या 170 रकबा 06.16 बीघा, खसरा संख्या 172 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 173 रकबा 27.14 बीघा, खसरा संख्या 181 रकबा 07.08 बीघा कुल रकबा 42.03 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त वाद में निर्णय पारित करने से पूर्व कैम्प कोर्ट में न तो वादी के बयान लिये तथा न ही प्रतिवादी का जवाब तय किया व साक्ष्य के अभाव में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। वक्त सेटलमेंट से अपीलाधीन आराजी का पर्चा लगान अपीलांट की माता पारू के नाम से जारी हुआ तथा सेटलमेंट से लेकर आज तक अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। अपीलांट की रहवासी ढाणी टांका आदि बना हुआ है। पारू ने अपनी बेटी पूरो की सेवा–चाकरी से खुश होकर एक वसीयतनामा दिनांक 20.01.1981 को अपीलांट के पक्ष में लिख कर पंजीयन करा दिया था। कि वसीयतनामा लिखने के छः माह बाद अपीलांट की माता का देहांत हो गया था। अपीलांट की माता के फोत होने के पश्चात रेस्पोडेंट अगरा ने अपनी वसीयतनामा लिखाकर दिनांक 16.07.1982 को रेस्पोडेंट ने अपने नाम से नामान्तकरण संख्या 495 अपने नाम से पारित करा लिया। अगरा पुत्र हिमथा बताकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपने नाम भूमि का नामान्तकरण कराया था, जबकि हिमथा के कोई पुत्र नहीं था। सारी वसीयत फर्जी है। अगरा पुत्र डामरा है तथा अभी भी वह अगरा पुत्र डामरा के नाम से जाना जाता है तथा रेस्पोडेंट के स्वयं के खेतों में अगरा पुत्र डामरा के नाम से दर्ज है। अपीलांट की माता ने अपने जीवनकाल में कोई गोदपुत्र नहीं लिया था। सारी कार्यवाही फर्जी वसीयतनामा तैयार करके किया है। पारू की मृत्यु के पश्चात लिखा गया फर्जी वसीयतनामा बेअसर व शून्य है तथा अपीलांट अपने कुदरति भूमि में हक–हिस्से घोषित करवाने का पूर्ण अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई के अभाव में जल्दबाजी में कोटापूर्ति में अपीलाधीन निर्णय किया है, जो कानूनन विधि–सम्मत नहीं है। वसीयतनामा के आधार पर पारू ही एकमात्र उतराधिकारी अपीलांट पूरो ही है तथा वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का ही हक–अधिकार है। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व कैम्प कोर्ट में न तो वादी के बयान लिये तथा न ही प्रतिवादी का जवाब तय किया व साक्ष्य के अभाव में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। वक्त सेटलमेंट से अपीलाधीन आराजी का पर्चा लगान अपीलांट की माता पारू के नाम से जारी हुआ तथा सेटलमेंट से लेकर आज तक अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। अपीलांट की रहवासी ढाणी टांका आदि बना हुआ है। पारू ने अपनी बेटी पूरो की सेवा–साकरी से खुश होकर एक वसीयतनामा दिनांक 20.01.1981 को अपीलांट के पक्ष में लिख कर पंजीयन करा दिया था। कि वसीयतनामा लिखने के छः माह बाद अपीलांट की माता का देहांत हो गया था। अपीलांट की माता के फोत होने के पश्चात रेस्पोडेंट अगरा ने अपनी वसीयतनामा लिखाकर दिनांक 16.07.1982 को रेस्पोडेंट ने अपने नाम से नामान्तकरण संख्या 495 अपने नाम से पारित करा लिया। अगरा पुत्र हिमथा बताकर अपने नाम भूमि का नामान्तकरण कराया था, जबकि हिमथा के कोई पुत्र नहीं था। सारी वसीयत फर्जी है। अगरा पुत्र डामरा है तथा अभी भी वह अगरा पुत्र डामरा के नाम से जाना जाता है तथा रेस्पोडेंट के स्वयं के खेतों में अगरा पुत्र डामरा के नाम से दर्ज है। अपीलांट की माता ने अपने जीवनकाल में कोई गोदपुत्र नहीं लिया था। सारी कार्यवाही फर्जी वसीयतनामा तैयार करके किया है। पारू की मृत्यु के पश्चात लिखा गया फर्जी वसीयतनामा बेअसर व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

शून्य है तथा अपीलांट अपने कुदरति भूमि में हक–हिस्से घोषित करवाने का पूर्ण अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई के अभाव में जल्दबाजी में कोटापूर्ति में अपीलाधीन निर्णय किया है, जो कानूनन विधि–सम्मत नहीं है। वसीयतनामा के आधार पर पारू ही एकमात्र उतराधिकारी अपीलांट पूरो ही है तथा वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का ही हक–अधिकार है। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि पारू के कोई लड़का नहीं हैं, यह निर्विवाद है। पहली वसीयत पूरोदेवी को रजिस्टर्ड वसीयत की गई। फिर वह अपने ससुराल कमठाई गई। फिर पुनः चवा आ गई। रजिस्टर्ड निरस्त के लिए सिविल छूट हुआ। जिसमें निर्णय उतरदाता के पक्ष में पारित हो चुका है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में 05 वर्ष तक ऐवीडेंस पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में दिनांक 29.05.2017 को निर्णय किया गया है तथा नकल देरी से मिली है तथा फैसला दिनांक 19.05.2017 को सुना दिया तथा बाद में मुख्यालय पर देरी से निर्णय लिखे गये है। नकल दिनांक 27.10.2017 को मिली है। नकल प्राप्ति से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

पंजीबद्ध वसीयत हुई जिसमें से प्रथम वसीयत वादिनी/अपीलांट के पक्ष में तथा बाद की द्वितीय वसीयत रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित हई। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 में 231 मु0 पारू बेवा हेमता कौम मेघवाल साकिन देह खातेदार की खातेदारी में दर्ज हुई अर्थात यह भूमि मु0 पारू की स्व अर्जित सम्पति है न कि पुश्तैनी हसलिए वह इसका जरिये वसीयत व्ययन करने की अधिकारिणी थी। उसकी फौतगी पर भरे गए नामातरण संख्या 495 दिनांक 26.12.1982 से साबित होता है कि यह भूमि वसीयतनामा से उतरदाता को हस्तांतरित हुई जिसका द्वितीय वसीयत दिनांक 16.07.1982 के प्रभाव में अमल दरामद हुआ। रिकॉर्ड पर उपलब्ध इस रजिस्टर्ड वसीयत का अवलोकन किया जिसमें विवादित आराजी अगरा को वसीयत करना जाहिर किया गया है, जिसमें उसने अपनी पूर्व में दिनांक 20.01.1981 को एक वसीयतनामा अपनी बेटी पूरो के नाम लिखा वह केंसिल करने का भी उल्लेख किया गया है। पुत्र अगरा के हक में लिखा मेरा यह वसीयतनामा सही व अंतिम वसीयतनामा है।" इस वसीयत में दो साख(गवाह) लाधूराम व आईदानमल के हस्ताक्षर है। वसीयतकर्ता की पहचान वकील सताराम ने की है। यह वसीयत कानून की दृष्टि में किसी भी रूप में अवैध नही मानी जा सकती जब तक कि इसे सक्षम सिविल न्यायालय से विधिकरूप से निष्प्रभावी नहीं करार दिया जाता। वक्त बहस वकील उतरदाता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस द्वितीय वसीयत की निरस्ती बाबत एक सिविल वाद प्रस्तुत हुआ था जिसका निर्णय भी हो चुका है। उपरोक्त विवेचन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा अपीलाधीन निर्णय के परीक्षणोपरांत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2008 बअनवान पूरोबाई बनाम अगरा निर्णय दिनांक 29.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

14/6/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner